आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के लिए

प्रारूप भाग-I

	निवास स्थान का पूर्ण पता- रामकोडा कारडा दोरा रमाजारे । वि
1.	निवास स्थान का पूर्ण पता-
2.	प्रार्थी (विद्यार्थी केपिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम

पिता / पति का नाम श्री. जिला के पर रेग ले कि

स्वयं /स्वयं की एवं पति की समस्त स्त्रोतोंसे सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:-

(1) कृषि भूमि() आदि से आयः रू	(2) वृत्ति, सेवा लान, अनुदान, निकाय आदि से आयः का
(s) वेतन, पॅरान, भत्ते, मानवेय, नियोजन, मज्वूरी आदि से आयः रू. 8600 D.	The state of the s
(5) अन्य स्थोतों से आयः फ	कुल वार्षिक आयः क, 3722-(251)

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरीक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सहीं है।

प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

प्राख्य भाग-II (दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी / प्राथियों प्राथियों पुत्र / प हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी / प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं

(1) हस्ताक्षर/ उत्तरदायी व्यक्ति

(पद नाम मय दिनांक)

(2) हिस्ताझर / उत्तरवायी व्यक्ति

प्रमुख / प्रधान / जिला परिषद यथा-संसद सदस्य/विधानसमा सदस्य/ज़िला व्यक्ति :-(उत्तरदायी सदस्य / सरपंच / वार्ड पंच / महापौर / उप महापौर / नगर निगम / नगर पालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / वार्ड पार्वद / वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र) मेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू अवरे रू. कि रेन रि. कार्यहै। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तौड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) पिता / पति का नाम 2 2 2 2 हें राजिया ने से समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसारनिवासी अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान के द्वारा की गई है। हस्ताक्षर मय सील

KLCCC. 1 प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नायबतहसीलदार / नायुः निकार्यों के अधिकारी / नोट्यी प्रस्थिक / ऑथ किमश्नर / राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी) का नाम व पद मुन्न सुसरा ८५

	आय क	उदधोष्णा प्र		
		SINGH SINGH	PALL 9,855 10020	
			10 PAW	
1. प्रार्थी / प्रार्थियां का नाम	गक्मार		1000	
2. पिता/पति का नाम	יט גקוג	A ATTENT		
3. निवास स्थान का पूर्ण पता				
1. वर्तमान पता	वाडा न	हिडाबीरा है	गेनमारिय	
2. स्थानीय पता (त्रे) त व) 4. गांव / शहर (त्रिंग)	5) गार	डा विरा रेने	171217	
4. गांव / शहर	तहसील	स्ताराम जि	ला ए। ली	A
5. जन्म दिनांक 18 16 \$ 9.8	3 जन्म स्थ	ान द्वी है। ज	7	0 0.
6. लिगं (पुरूष/महिला)	नेवारि	हेत स्थिति (विवाहि	त/अविवाहित)) ववाहिति
7. धर्म :- जाति	MIR	उपजाति.	चिंदाम	 प्रथवा नही
6. 441 only only areas areas	ष्थान का मू	ल निवासी है?		अथवा / नही
9. क्या आप करदाता है?			61 0	अवपार गरा
10. मोबाईल न0		.11 2 -	ं क्याना विभाग	की रिटर्न की
11. पैन कार्ड होने की दशा में पैन	कार्ड नम्बर		व आयकर विभाग	4// 1/01
अद्यतन प्रति संलग्न करें।		1.1	नियम का वि	भाग की रिटर्न
12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन	न नम्बर		dilalioady dyc id	MIN 44 140 1
की अद्यतन प्रति संलग्न करें।				
13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षि			कार्य/व्यवसाय व	वार्षिक आय
क्र0सं0 सदस्य का नाम	उम्र	संबंध मुखिया से	उसकी प्रगति	(रूपये)
91	1		11-1527	80000
01 सिन्ध्राक्ष गार	ul	- Zurl	017.221	Beece
02 दिवन्त्र न्यांसम	19		_ dood	- 9-0000
03	139	JAEOA	- ga	80000
अन्य स्त्रोतो (यथा मकान किराय				
14. उक्त तथ्यो के सत्यापन स्वरूप	दो उत्तरदा	यी व्यक्ति के साक्ष्य	प्रमाण-पत्र एवं	स्वयं का शपथ
पत्र संलग्न है।				
मैं तस्दीक करता/कर	ती हूँ की	उपरोक्त विवरण	मेरी जानकारी प	वं विश्वास के
अनुसार सही है।	Sworn	& Signed Before	Me	/
	Hence	Verified at 500	AT _	- more
दिनांक	NOT	ARY PUBL	ic far	5503712
स्थान 🥎 🐧	SOJ	AT RAJASTHAL	अविदक व	हस्ताक्षर

शपथ-पत्र



# 07	पत्र/पत्री/पत्नी श्री		जम <u> </u>
निवासी क्षेत्र) है। व	गुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. मान्य १८७ का हुए हैं के किन घोषण राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न घोषण	्राच्या (कारती हैं :-	लच्या जा क्या
जिला पा ली	कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आ	। (वर्ष	रुपये) के प्रमाण
The state of the s	उदघोषणा करता/करती हूँ कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (
2. यह ह जानका	री निम्नानुसार है:-		वार्षिक आय रूपये
क्र0सं0	परिवार के सदस्य व्यवसाय का नाम	प्रार्थी से संबंध	
01	02 हिमराकुष्टार 03 भगड़री	04 2 ms	05 80000
	योगेरी वीसम	972	80000

3. यह है कि मेरे परिवार के सदस्य द्वारा धारित भूनि / व नोशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार हैं :-

गांव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	सिचित भूमि	वार्षिक रूपये	आय
01	02	03	104	05	06	
		/				
						r

4. यह है कि मेरे परिवार में अन्य स्त्रीतों से आय निमा प्रकार है :-

क्र0सं0	आय के अन्य सम्पति,किराया / ब्याज / पेंशन / रे	वार्षिक आय				
Gallen, etc.			/			1
		//				

कुल/समस्त वार्षिक आय	घरण (पैत) संख्या 02,03,04 का योग
	1 of me
	. स्वारा

क्या विकास के प्रतिकतानुसार मेरे परिवार के।
5. यह है कि मै शपथ पूर्वक घोषित करता करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार का
कुल / समस्त वाषिक अथि
किसी सदस्य ने विगत में
6. मै शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूँ कि मर व गर पारपार पर नहीं दर्शायी है तथा नाही इस उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शायी है तथा नाही इस
उक्त अंकित वाषिक आयं स निमा जाव विराण
बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। 7. मै शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र
7. मै शपथपूर्वक कथन करता / करता हूं कि यह एटच नरा का गलत अथवा मिथ्या होना में अंकित तथ्य एवं शपथ पूर्वक उदघोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
नारताय पन्य सालसा के जा साम
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
हस्ताक्षर शपथग्रहिता
<u> भत्यापन</u>
में शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि शपथ पत्र की पैरा संख्या 01 से 07 मेरी निजी
जानकारी से लिखाया गया है, इसमें कोई तथ्य मता छुपाया ना ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी
जानकारी से लिखाया गया है, इसमें कोई तथ्य जहाँ छुपाया जा ही असत्य तलखा है। इस्पर राज्य
A/s = seg fest
हस्ताक्षर शपथग्रहिता
हिस्ताबर रापवप्रावता
हस्ताक्षर पहचानकर्ता
Section 40-41 1-411
1
2
(नाम, पता, स्थान, व दिनांक सहित)
प्रभाणिकरण
उपरोक्त शपथकर्ता नाम किया का नाम भवश्या या जाति मार्थी
े भेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक
उम्र (1) निवासी क्षित किया है, जिसे प्रमाणिकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान
Sworn & Signed Before Me
Hence Verified at SOJAT
NOTARY PUBLIC SOJATONISASTHAN
प्रमाणिकरण अधिकारी
(कार्यापालक मिलस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक का नाम व पद मय सी

दिनांक

स्थान ः

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण

1.	गवाह :- मैं थार्य पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र श्री श्री श्री श्री पद प्रार्थ पद प्रार्थ विभाग का नाम रि. प्रार्थ करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां का नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां का नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता करता है कि प्रार्थी / प्रार्थियां कि नाम करता करता करता करता करता करता करता करता
	विभाग का नाम पर कार्यरत हूं एवं शपथपूर्वक बयान करता / करती हूं कि प्रार्थी / प्रार्थियां के अव का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है। पर कार्यरत हूं एवं शपथपूर्वक बयान करता / करती हूं कि प्रार्थी / प्रार्थियां के अव का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।
	(हस्ताक्षर गुवाह / उत्तरदायी)
	नाम
	वार्ड ने वा
2.	गवाह :- मैं शिक्ष प्रित्त पूर्व प्रापथपूर्वक बयान करता करती हैं कि प्रार्थी / प्रार्थियां शिक्ष अवाय प्रार्थी / प्रार्थियां के आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है। (हस्ताह्मर गवाह (स्त्राह्मर विकास से जानता करता) करता करता करता करता है। है इसके अलावा प्रार्थी / प्रार्थियां के आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है। (हस्ताह्मर गवाह (स्त्राह्मर विकास करता) करता नाम राजाकीय किर्त्साह्मर विनांक क्षोजात सिदी

नोट :- 1. आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाये (स्टैपलरं नहीं करना है।) तथा उससे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करवायें।

▶ उत्तरदायी व्यक्ति यथासंसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/प्रधान जिला परिषद सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका सदस्य/संबंधित पील्यली/सील्ससी के विकित्सक /बी०डी०ओ०/ सहायक अभियंता/सरकारी स्कूल/कॉलेज का प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/व्याख्याता